

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

भूप सिंह बनाम इमानती आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट

वाद पत्र संख्या :- 89/2022

GCMS संख्या :- 2022/332

24.08.2022 यह पत्रावली वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट के तहत जरिये वकील श्री श्रवण बिश्नोई के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 29.09.2022 को पेश हो।

29-9-22

पत्रावली पेश। वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारों का आपस में शरीकता होने के कारण इस वाद को 'आगे चलाना नहीं चाहिए'। इसीलिए नोटिस के आधार पर यह वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाये। अक्टोबर में निवेदन स्वीकार करने हुए यह वाद पत्र नोटिस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तलब तर्कहीन होकर खारिज हुआ है।

Noted by me

29/9/2022

29/9/2022

आशुतोष

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

घड़साना